(93)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	411/2016 साधु / मुल्ला हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.02.18	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. उभयपक्ष उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा संशोधित आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा बहस सुनने का आग्रह किया गया। रेस्पो० द्वारा बहस हेतु समय चाहा गया। अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 07.03.18 को पेश हो।	
07/03/18	अभि. अपीलान्ट/रेस्पों उपस्थित पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल दिनांक 09/04/18 को पेश हो।	
09/04/18	अभि. अपीलान्ट/रेस्पों उपस्थित पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल दिनांक 16/04/18 को पेश हो।	
16/4/18	अभि. अपीलान्ट/रेस्पों उपस्थित पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल दिनांक 07/5/18 को पेश हो।	
07.05.18	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14.05.18 को पेश हो।	
14/5/18	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण बाके ग्राम डेवली तहसील विराटनगर के रहने वाले व्यक्ति हैं तथा	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	न... अह... हुक्म ...ख हुक्म में जा...
	जाति से कुम्हार है। वादी सं. 1 की खाता सं. 23 मे दर्ज खातेदारी भूमि है जिसके ख.न. 201 रकबा 1.19 हे० है एवं वादी सं. 2 की खाता सं. 217 मे दर्ज ख.न. 190 रकबा 0.38 है जिसको वादीगण काश्त करके अपने परिवार का जीवन यापन करते है। वादीगण को उक्त भूमि जरिये आलाटमेन्ट स्वयं के उपभोग उपयोग के लिये मिली हुई है जिसके वादीगण खातेदार है। प्रतिवादीगण जो वादीगण के ही पारिवारिकजन रहे है जो दादागिरी से वादीगण की भूमि मे हिस्सा मांगते है जबकी उपरोक्त भूमि वादीगण को ही जरिये आलाटमेन्ट मिली हुई है। प्रतिवादीगण मुकाबले मे ज्यादा है जो एकराय होकर वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि मे काश्त नही करने देते है। दिनांक 15/7/2015 को प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि इस बार तुमको तुम्हारे खसरा नम्बर की भूमि पर काश्त नही करने देगे। इसलिये वादकारण उत्पन्न हुआ। वादीगण द्वारा वादपत्र के अन्त मे अनुतोष चाहा गया कि ग्राम देवली तहसील विराटनगर के खाता सं 217 मे दर्ज ख.न 190 रकबा 0.38 एवं खाता सं. 23 मे दर्ज ख.न 201 रकबा 1.19 के कब्जा काश्त मे प्रतिवादीगण कोई मजाहमत नही करे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्रतिवादीगण के खिलाफ फरमाई जावे। जिस पर प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी एवं तत्पश्चात जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ	

राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय द्वारा पत्रावली जवाबुल जवाब व जवाब दरख्वास्त हेतु नियत की गई तत्पश्चात पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे नियत करते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 21/6/16 के जरिये प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी भूमि मे कोई मदाखलत नही करने का आदेश प्रदान करते हुये पत्रावली निर्णित कर दी गई। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समाप्त की गई।

उभयपक्षो के अभिभाषकगणों द्वारा दौराने बहस सहमति जाहिर करते हुये सम्पूर्ण विधिक प्रक्रियाये अपनाते हुये पुनः प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया गया। अतः यह न्यायालय प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किये बिना मात्र उभयपक्षो की सहमति के आधार पर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित करती है कि वे समस्त विधिक प्रक्रियाये अपनाते हुये प्रकरण का गुणावगुण पर पुनः निस्तारण करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21/6/2016 निरस्त किये जाते है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/5/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर